

न्यायालय उप खण्डाधिकारी सैपऊ

प्रकरण संख्या : 59/2016

बमुक0 गायत्रीदेवी बगौरा बनाम भगवानसिंह बगौरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

14.12.2016 प्रार्थना पत्र बाद जांच कार्यालय से पेश हुआ । वकील सायलान उपस्थित । वकील सायलान को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है ।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर गैरसायलान को पावंद किया जाता है कि वह आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.02.2017 तक विवादित आराजी खसरा नम्बर 170, 172, 414, 415 वाके ग्राम बहरावती, तहसील सैपऊ के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करें एवं ना ही कोई रास्ते संबंधी निर्माण कार्य करें। गैरसायलान को जरिये रजिस्ट्री नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15.02.2017 को पेश हो।



15/2/17 वकील सायलान 340/10 साहब राजकाम में पेश है। पत्रावली पूर्ववत् दिनांक 15-2-17 को पेश हो

15/2/17 वकील शर्मा 340/10 साहब राजकाम में पेश है। पत्रावली दिनांक 15/2/17 को पेश हो

25/5/17 राज गड पत्रावली राजगड लोड डाकालत गायत्री देवी बनाम भगवानसिंह बगौरा के पेश हो। गैरसायलान को निषेधाज्ञा जारी किया जा चुका है। डाक सापत्र 212 RTI Act का लोड हो

उपरोक्त का कोर्ट डीपॉजिटिव नहीं है।
 आदेश 212 पृष्ठ 2 अथवा 3 कोशिका में
 उल्लिखित किया जाता है। तारीख 14-12-46
 को जारी - हाथगार ई. वि. कोशिका निरस्त की जाती
 है। पत्रावली ई. वि. कोशिका कोर्ट कोर्ट
 निरस्त होकर मूल दाला की पत्रावली को
 जारी की जाती है।

विमोच

उपखण्ड अधिकारी संपन्न
 उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट
 और पत्रावली

उपरोक्त कोशिका निरस्त है।
 कोशिका निरस्त है।
 कोशिका निरस्त है।

उपरोक्त कोशिका निरस्त है।
 कोशिका निरस्त है।
 कोशिका निरस्त है।